पत्रांक–बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–06 / 2022 सो० 2760

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 16/11/2022

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत संविदात्मक पद पर नियोजित आई०टी० सहायक जिनके द्वारा दिनांक–01.07.2018 को सफल तरीके से 5 वर्ष या अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया गया है, हेतु आई०टी० सहायक वर्ग–2 के रूप में अलग वर्ग तथा विशेष भत्ता के निर्धारण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत संविदात्मक पद पर नियोजित आई०टी० सहायक जिनके द्वारा दिनांक–01.07.2018 को सफल तरीके से 5 वर्ष या अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया गया है, हेतु आई०टी० सहायक वर्ग–2 के रूप में अलग वर्ग तथा विशेष भत्ता के निर्धारण एवं यह व्यवस्था दिनांक–01.01.2023 से प्रभावी होने के संबंध में दिनांक–10.10.2022 को मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, शासी परिषद की अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना की शासी परिषद की 31वीं बैठक के कार्यावली बिन्दु–16 पर निर्णय लिया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु बैठक की कार्यवाही संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जा रही है।

अनु०:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

16-11-22

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– **बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–06 / 2022 सो० 2760, दिनांक 16/11/2022**

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी कार्यालय प्रधान / सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

16-11-22

विशेष कार्य पदाधिकारी

दिनांक-10.10.2022 को मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष शासी परिषद की अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 31 वीं बैठक की कार्यवाही

मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग-सह-मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, प्रधान सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग-सह-प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन, अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, सचिव, विधि विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि के रूप में श्री संजय कुमार पंसारी, अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग उपस्थित रहें। बैठक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की ओर से रखे गए प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

<u>कार्यावली बिन्दु:-01</u>

दिनांक-17.12.2021 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

<u>कार्यावली बिन्दु:-02</u>

दिनांक-17.12.2021 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन को संपुष्ट किया गया।

<u>कार्यावली बिन्दु:-03</u>

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का घटनोत्तर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए व्यय के आकलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू. 1,37,51,10,232.00 (एक अरब सैतीस करोड़ एकावन लाख दस हजार दो सौ बत्तीस) का विषय शीर्षवार एवं मदवार बजट प्राक्कलन तैयार किया गया था। इस बजट प्राक्कलन को शासी परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में मिशन कार्यालय के पत्रांक-1797, दिनांक-21.10.2021 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था। इस आलोक में मिशन कार्यालय हेतु कुल रू. 1,37,50,00,000.00 (विषय शीर्ष 3104- वेतन मद में रू.1,22,44,00,000.00 तथा सहायक अनुदान विषय शीर्ष 3106- गैर वेतन में रू.15,06,00,000.00) का बजट उपबंध किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विषय शीर्षवार बजट प्राक्कलन, प्राप्तियाँ, व्यय के उपरांत अवशेष राशि का विवरण निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष	विषय शीर्ष	बजट/पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन की राशि	प्राप्त सहायक अनुदान की राशि	अब तक किये गये व्यय के उपरान्त अवशेष राशि
2022-23	3104-वेतन	1224341532.00	404052000.00	3,66,74,784.00
	3106-गैर वेतन	1507688700.00	49698000.00	3,48,11,780.00
	कुल	**1375110232.00**	**453750000.00**	**7,14,86,564.00**

25 447

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रू. 1,37,51,10,232.00 (एक अरब सैंतीस करोड़ एकावन लाख दस हजार दो सौ बत्तीस) के बजट प्राक्कलन एवं तदालोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी हेतु उपबंधित कुल राशि रू. 1,37,50,00,000.00 पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः-	स्वीकृत।

कार्यावली बिंदु-04

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2020-21 के Audit Report पर विचारण। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं इसके Reform Support Unit (Rsus) का वित्तीय वर्ष 2020-21 का Statutory Audit निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी P Jyoti & Co. (CA) द्वारा किया गया है और अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसका मुख्य बिन्दु निम्नवत है :-

1. There are no transactions that appear to be contrary to the rules or byelaws of the Organization.
2. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit.
3. In our opinion, the Organization as required has kept proper books of accounts, so far as appears from our examination of those books.
4. The Balance Sheet, Receipts & Payments Account and Income & Expenditure Account are in agreement with the books of accounts.
5. At the time of closing of accounts, confirmation of significant balances lying with others should be obtained and preserved for Records.
6. Accounts submitted for audit should have significant accounting policies adopted through notes to acdounts.
7. The accounts should have been classified and described in accordance with recognized accounting policies and practices and relevant statutory requirements.
8. The Organization has been advised to maintain proper records to show full particulrs. Including quantitative details and situation offixed assets. Also, physically verify the fixed assets by the management.
9. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts give a true and fair view, in Conformity with the accounting Principles Generally accepted in India:
   a) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs as at for the year ended 31.03.2021 and
   b) In the case of Receipts & Payments Account, Income & Expenditure Account, of the Excess of Expenditure over Income for the Year ended on that date.

(यथा- अनुलग्नक-3)

Statutory Audit के लिए चयनित एजेंसी P Jyoti & Co. (CA) द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी तथा इसके Reform Support Unit (RSUs) का वित्तीय वर्ष 2020-21 के Statutory Audit Report पर शासी परिषद की अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:-	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दु-05

भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को नयी व्यवस्था के तहत 4G/5G Support हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त मोबाईल सेट हेतु निर्धारित अधिकतम प्रतिपूरणीय राशि ₹ 35000.00 एवं ₹ 15000.00 को बढ़ाकर क्रमश: ₹ 50000.00 (पचास हजार) एवं ₹ 25000.00 (पचीस हजार) किए जाने के बिंदु पर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की दिनांक-10.10.2018 को आयोजित बैठक की कार्यावली बिन्दु-05 एवं शासी परिषद की दिनांक-20.09.2019 को आयोजित बैठक की कार्यावली बिन्दु-07 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित पदाधिकारियों) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा (बिहार में पदस्थापित) के पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के निष्पादन के क्रम में सूचनाओं के आदान-प्रदान, योजनाओं के अनुश्रवण आदि हेतु सी.यू.जी. नेटवर्क अंतर्गत उपलब्ध कराये गये सीम कार्ड/अन्य सीम कार्ड का उपयोग करने हेतु 4G Support वाले हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त मोबाईल सेट के क्रय पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए ₹ 35000.00 एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए ₹ 15000.00 की अधिकतम राशि की प्रतिपूर्ति का निर्णय है। यह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन कार्यालय के पत्रांक-42, दिनांक-08.01.2019 एवं पत्रांक-1858, दिनांक-16.10.2019 द्वारा परिचारित है।

इन पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के निष्पादन के क्रम सूचनाओं के आदान-प्रदान, योजनाओं के अनुश्रवण e-Office के माध्यम से कार्य करने हेतु High Speed इंटरनेट सेवा की उच्च गुणवता के Storage सुविधा युक्त 4G/5G Support वाले मोबाईल सेट की आवश्यकता एवं उसके बाजार मूल्य के दृष्टिगत भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को आलोच्य प्रयोजन के लिए पूर्व की निर्धारित अधिकतम प्रतिपूरणीय राशि **₹ 35000.00** एवं **₹ 15000.00** को बढ़ाकर क्रमश: **₹ 50000.00 (पचास हजार)** एवं **₹ 25000.00 (पचीस हजार)** करने का प्रस्ताव है। शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को नयी व्यवस्था के तहत 4G/5G Support हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त मोबाईल सेट हेतु निर्धारित अधिकतम प्रतिपूरणीय राशि ₹ 35000.00 एवं ₹ 15000.00 को बढ़ाकर क्रमश: ₹ 50000.00 (पचास हजार) एवं ₹ 25000.00 (पचीस हजार) किए जाने के बिंदु पर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:-	स्वीकृत।

23 445

कार्यावली बिन्दु:-06

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप के क्रय पर राशि प्रतिपूर्ति की पूर्व की योजना के संशोधन के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन।

शासी परिषद की दिनांक-14.06.2011 को आयोजित बैठक के प्रस्ताव संख्या-2 एवं शासी परिषद की दिनांक-12.12.2013 को आयोजित बैठक के प्रस्ताव संख्या-4 पर प्राप्त अनुमोदन तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13660, दिनांक-15.12.2011 एवं पत्रांक-1472, दिनांक-27.12.2013 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के द्वारा क्रय किए गए लैपटॉप के विरूद्ध विभाग/कार्यालय प्रधान से प्राप्त अधियाचना एवं अन्य निर्धारित शर्त्तों के अध्यधीन अधिकतम राशि ₹ 60000.00 (साठ हजार) रूपये की प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2011 से ही यह राशि स्थिर है और इसमें कभी कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के निष्पादन के क्रम में सूचनाओं के आदान-प्रदान, योजनाओं के अनुश्रवण एवं e-Office के माध्यम से संचिकाओं के निष्पादन हेतु सूचना तकनीक की नवीनतम विशिष्टियों के लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड की आवश्यकता तथा उसके बाजार मूल्य के दृष्टिगत पूर्व से चली आ रही इस योजना में निम्नवत संशोधन का प्रस्ताव है :-

a) इस योजना के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को नवीनतम विशिष्टियों का लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड के क्रय पर ₹85000.00 (पचासी हजार) रूपये तक की राशि की प्रतिपूर्ति की अनुमान्यता होगी।
b) लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड का क्रय पदाधिकारियों द्वारा स्वयं किया जाएगा और उसके विपत्र पर पदाधिकारी का स्वयं का नाम अंकित रहना अनिवार्य होगा।
c) प्रतिपूर्ति के लिए भेजी जाने वाली अधियाचना के साथ पदाधिकारी का विहित प्रपत्र में स्व-घोषणा पत्र तथा लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड के क्रय विपत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना अनिवार्य होगा।
d) लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड के क्रय के पश्चात राशि की प्रतिपूर्ति के लिए पदाधिकारी के पदस्थापन वाले विभाग/जिला से निम्नलिखित प्रमाण पत्रों से युक्त अधियाचना पत्र बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को भेजा जाएगा –

   i. लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड क्रय की तिथि को संबंधित बि.प्र.से. पदाधिकारी की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं है।
   ii. इनके द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या प्रौद्योगिकी/अभियंत्रण संस्थान, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कम्प्यूटर संस्थान, राज्य सरकार के विभागीय परीक्षा से अथवा NIELIT से कम्प्यूटर दक्षता का आधारभूत प्रशिक्षण लिया गया है तथा इसका प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

iii. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के द्वारा नवीनतम विशिष्टियों का आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड क्रय किया गया है।

e) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-03/एफ-01-39/2014-2480/वि., दिनांक-31.03.2017 एवं संकल्प संख्या-03/एफ-01-39/2014-8060/वि., दिनांक-12.10.2017 के आलोक में लैपटॉप का जीवन काल 4 वर्ष निर्धारित है। लैपटॉप के जीवनकाल की गणना उसके क्रय की तिथि से परिगणित होगी। अतएव यदि किसी बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के द्वारा पूर्व में लैपटॉप के क्रय पर राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी होगी तो इस योजना के तहत राशि की प्रतिपूर्ति पाने के लिए नया लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड का क्रय पुराने लैपटॉप के क्रय के 04 वर्ष की अवधि पूरा होने पर ही किया जा सकेगा तथा पूर्व में क्रय किए गए लैपटॉप की प्रतिपूर्ति राशि का 10 प्रतिशत राशि Depreciation Cost के रूप में कोषागार चालान द्वारा राजकोष में उन्हें जमा करना होगा। उक्त पदाधिकारी के द्वारा पुराने लैपटॉप को Retain भी करना होगा।

f) यदि किसी पदाधिकारी की सेवानिवृति उनके लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड की तिथि से चार वर्ष पूरा होने के पहले ही हो जाती है तो उक्त पदाधिकारी को सेवांत लाभ के भुगतान के लिए क्रय किए गए लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड की वित्त विभागीय उपर वर्णित संकल्प के अनुसार तत्समय अनुमान्य Depreciation Cost की राशि कोषागार चालान द्वारा जमा करना होगा तथा उक्त कोषागार चालान की प्रति बकाया रहित प्रमाण के रूप में संबंधित विभाग/जिला को उपलब्ध कराना होगा।

अतएव बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को नयी व्यवस्था के तहत नवीनतम विशिष्टियों का लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड के क्रय पर राशि की प्रतिपूर्ति के उपर्युक्त प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

अत: बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप के क्रय पर राशि प्रतिपूर्त्ति की पूर्व की योजना के संशोधन के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:-	स्वीकृत।

<u>कार्यावली बिन्दु-07</u>

300 Postpaid CUG SIM की आपूर्ति हेतु न्यूनतम मासिक दर (195+ GST) प्रति सीम प्रस्तावित करने वाले निविदादाता Bharti Airtel Ltd., Patna का चयन एवं BSNL के CUG Mobile Nos. की Portability के बाद Airtel CUG SIM को राज्य के पदाधिकारियों के पदनाम से आवंटित एवं उपलब्ध करा दिए जाने के बिन्दु पर घटनोत्तर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद की दिनांक-18.11.2020 को आयोजित 28वीं बैठक की कार्यावली बिंदु-3 पर लिए गए निर्णय के आलोक में BSNL से नए Fixed monthly charge (200+GST 236.00) प्रति सीम पर दिनांक-01.12.2020 से सेवाएं प्राप्त की जा रही थी।

पटना और बिहार के कई स्थानों पर BSNL की 4G सेवाएं उपलब्ध नहीं रहने एवं data की गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाने की प्राप्त शिकायतों के कारण अध्यक्ष, शासी परिषद-सह-मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त करते हुए 300 Postpaid CUG SIM की आपूर्ति के लिए प्रति Postpaid CUG SIM मोबाईल कॉल एवं इंटरनेट डाटा (अन्य सुविधा सहित) प्लान का मासिक दर उपलब्ध कराने हेतु Limited Tender Enquiry-01/2021 आमंत्रित किया गया था।

Limited Tender के निर्धारित समय सीमा (दिनांक-24.12.2021 को 01 बजे अपराह्न) तक तीन टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (Airtel, Vodaphone Idea Ltd एवं Reliance Jio) के प्रस्ताव प्राप्त हुए। बिहार के सभी जिलों में BSNL की 4G सेवा उपलब्ध नहीं रहने के कारण BSNL द्वारा Limited Tender में भाग नहीं लिया गया। निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त दर प्रस्तावों का निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया एवं प्राप्त वित्तीय दर प्रस्तावों में टेलीकॉम सेवा प्रदाता Bharti Airtel Ltd., Patna द्वारा दिए गए न्यूनतम निविदित्त दर (L-1) 195+GST प्रति सीम Fixed मासिक दर पर Bharti Airtel Ltd. के चयन किया गया है। Bharti Airtel Limited, Patna का निविदित्त मासिक दर (195+GST अर्थात 230.10 प्रति सीम) वर्तमान में उपयोग में लाए जा रहे BSNL के CUG SIM के मासिक दर (200+GST प्रति सीम अर्थात 236.00) से भी कम है। Bharti Airtel Limited, Patna के निविदित मासिक दर पर 300 Postpaid CUG SIM का वार्षिक व्यय रु० 828000/- (आठ लाख अट्ठाईस हजार) का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त होने वाले अनुदान शीर्ष 3106 गैर वेतन मद से किया जा रहा है।

300 Postpaid CUG SIM की आपूर्ति हेतु न्यूनतम मासिक दर (195+tax प्रति सीम) प्रस्तावित करने वाले निविदादाता Bharti Airtel Ltd., Patna का चयन किया गया तथा BSNL के CUG Mobile Nos. की Portability के पश्चात Airtel के CUG SIM Card को राज्य के पदाधिकारियों के पदनाम से आवंटित एवं उपलब्ध करा दिया गया है जिस पर शासी परिषद की घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः-	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दु-08

जिज्ञासा हेल्पलाईन को एकीकृत कॉल सेंटर में विस्तारित करते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लाभूकों को स्थानीय भाषा में जानकारी देने के लिए अतिरिक्त 05 (पाँच) कॉल एक्जीक्यूटिव को रखे जाने पर घटनोतर अनुमोदन।

जिज्ञासा हेल्पलाईन को एकीकृत कॉल सेंटर के रूप में विकसित कर दिया गया है। एकीकृत कॉल सेंटर के Calling Application पर 05 (पाँच) Incoming Call एवं Outgoing Call की सुविधा उपलब्ध था। मिशन निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करते हुए लाभूकों को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की स्थानीय भाषा में जानकारी देने के लिए मार्च, 2022 से अतिरिक्त 05 (पाँच) कॉल एक्जीक्यूटिव की सेवा निविदा के माध्यम

से चयनित एजेंसी Panash Infotech Pvt. Ltd., Patna से प्रति कॉल एक्जीक्यूटिव प्राप्त न्यूनतम निविदित्त मासिक दर रू. 11390.00 (ग्यारह हजार तीन सौ नब्बे GST सहित) पर प्राप्त की जा रही है। इन पॉच कॉल एक्जीक्यूटिवों की सेवा प्राप्त किए जाने पर मासिक 56,950.00 रूपए का व्यय किया जा रहा है। भविष्य में भी कॉल एक्जीक्यूटिवों को रखे जाने की आवश्यकता है। इन अतिरिक्त पॉच कॉल एक्जीक्यूटिवों को रखे जाने पर वार्षिक व्यय 6,83,400.00 रूपए होगा जिसका भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त होने वाले अनुदान शीर्ष 3106 गैर वेतन मद से किया जाएगा।

जिज्ञासा हेल्पलाईन को एकीकृत कॉल सेंटर में विस्तारित करते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लाभूकों को स्थानीय भाषा में जानकारी देने के लिए अतिरिक्त 05 (पाँच) कॉल एक्जीक्यूटिवों को रखे जाने पर घटनोतर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः-	स्वीकृत। जिज्ञासा हेल्पलाईन के कार्यों की समीक्षा का निदेश दिया गया ।

<u>कार्यावली बिन्दुः-09</u>

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में नियोजित आई.टी. प्रबंधकों को लैपटॉप के क्रय पर राशि प्रतिपूर्त्ति की योजना के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन संचालित प्रशासनिक सुधार के कार्यक्रमों यथा- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एवं बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली आदि के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण कार्यों में आई.टी. प्रबंधकों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागों में एवं जिलों में विभिन्न बैठकों, कार्यक्रमों के आयोजन में आई. टी. संबंधी सहयोग, वीडियो कांफ्रेंसिंग कराना, आई.टी. आधारित अन्य कार्य (निर्वाचन, आपदा आदि) का निष्पादन आदि कार्य किया जाता है। इन कार्यों में कम्प्यूटर/लैपटॉप की आवश्यकता बार-बार महसूस की जाती है। इसके अतिरिक्त आई.टी. प्रबंधकों को सरकारी कार्यों के निष्पादन के क्रम में सूचनाओं के आदान-प्रदान, योजनाओं के अनुश्रवण एवं e-Office के माध्यम से संचिकाओं के निष्पादन में सहयोग हेतु सूचना तकनीक की नवीनतम विशिष्टियों के लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड की आवश्यकता है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में संविदा पर नियोजित आई.टी. प्रबंधकों के द्वारा क्रय किए गए लैपटॉप के विरूद्ध विभाग/कार्यालय प्रधान से प्राप्त अधियाचना के आधार पर निम्नांकित शर्त्तों के अध्यधीन अधिकतम राशि ₹ 60000.00 (साठ हजार) रूपये की प्रतिपूर्ति की योजना का प्रस्ताव है :-

a) इस योजना के तहत आई.टी. प्रबंधकों को नवीनतम विशिष्टियों का लैपटॉप/ टैबलेट/आईपैड के क्रय पर ₹ 60,000.00 (साठ हजार) रूपये तक की राशि की प्रतिपूर्ति की अनुमान्यता होगी।
b) लैपटॉप/ टैबलेट/आईपैड का क्रय आई.टी. प्रबंधकों द्वारा स्वयं किया जाएगा और उसके विपत्र पर आई.टी. प्रबंधक का स्वयं का नाम अंकित रहना अनिवार्य होगा।

c) प्रतिपूर्ति के लिए भेजी जाने वाली अधियाचना के साथ आई.टी. प्रबंधक का विहित प्रपत्र में स्व-घोषणा पत्र तथा लैपटॉप/ टैबलेट/आईपैड के क्रय के विपत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना अनिवार्य होगा।

d) लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड के क्रय के पश्चात राशि की प्रतिपूर्ति के लिए आई.टी. प्रबंधक के पदस्थापन वाले विभाग/जिला से निम्नलिखित प्रमाण से युक्त अधियाचना पत्र बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को भेजा जाएगा –

   i. लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड क्रय की तिथि को संबंधित आई.टी. प्रबंधक की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं है।

   ii. आई.टी. प्रबंधक के द्वारा नवीनतम विशिष्टियों का आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड क्रय किया गया है।

e. किसी आई.टी. प्रबंधक के द्वारा संविदा अवधि में पद त्यागने/संविदा मुक्त किए जाने की स्थिति में नियोजन समाप्ति की प्रभावी तिथि को वित्त विभाग के संकल्प संख्या/03-एफ-2014/39-01-.वि/2480, दिनांक 31.03.2017-एवं संकल्प संख्या.वि/8060-2014/39-01-एफ/03-, दिनांक-12.10.2017के आलोक में तत्समय अनुमान्य Depreciation Cost की राशि कोषागार चालान द्वारा जमा कराकर लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड को Retain अनिवार्य होगा। उक्त कोषागार चालान की प्रति बकाया रहित प्रमाण के रूप में संबंधित विभाग/जिला को उपलब्ध कराना होगा।

वर्त्तमान में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में आई.टी. प्रबंधक के स्वीकृत पदों की संख्या-113 है एवं 15 आई. टी. प्रबंधक के पदों पर पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में सृजित 128 आई. टी. प्रबंधकों को लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड उपलब्ध कराने की योजना पर ₹ 60,000.00 (साठ हजार) रूपये की दर से कुल ₹ 76,80,000.00 (छिहतर लाख अस्सी हजार) रूपये का व्यय अनुमानित है जो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त होने वाली सहायक अनुदान की राशि की शीर्ष- 3106 गैर वेतन मद से भुगतेय होगा।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में संविदा पर नियोजित आई.टी. प्रबंधकों को नवीनतम विशिष्टियों का लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड के क्रय पर राशि की प्रतिपूर्ति के उपर्युक्त योजना के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः-	अधिकतम 85,000.00 (पचासी हजार) रूपए की प्रतिपूर्ति के साथ स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दु-10

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत कार्यपालक सहायक के रिक्त हुये पदों पर बेल्ट्रॉन से डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा लिये जाने की स्थिति में कार्य निष्पादन के लिये कम्प्यूटर सिस्टम (डेस्कटॉप, B/W प्रिंटर, यू.पी.एस. आदि) उपलब्ध कराने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के दिनांक-08.07.2019 को अयोजित शासी परिषद की 23वीं बैठक में निर्णित है कि "बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अन्तर्गत कार्यपालक सहायक हेतु सृजित पदों पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों के अतिरिक्त अब नये रिक्तियों के विरूद्ध नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जायेगा। जिस जिला अन्तर्गत कार्यपालक सहायक के सृजित पदों के विरूद्ध रिक्तियाँ होगी, वह जिला रिक्तियों के अनुरूप आदर्श आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुये बेल्ट्रॉन से डाटा इंट्री ऑपरेटरों की सेवा प्राप्त करने हेतु अधियाचना करेगा।" बेल्ट्रॉन द्वारा मांग के अनुरूप डाटा इंट्री ऑपरेटरों की सेवा उपलब्ध कराई जायेगी।

यह उल्लेखनीय है कि कार्यपालक सहायकों को अनुबन्ध के शर्त्तों के आलोक में हार्डवेयर साथ लाना होता है, परन्तु बेल्ट्रॉन से उपलब्ध कराये जाने वाले डाटा इंट्री ऑपरेटर के मामले में यह प्रावधान नहीं है।

इस व्यवस्था के तहत बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा इंट्री ऑपरेटरों के पास हार्डवेयर नहीं होंगे तथा संबंधित कार्यालयों में आवश्यक सभी हार्डवेयर अनुपलब्धता/अल्प उपलब्धता के कारण कार्य निष्पादन में कठिनाई हो रही है।

अतः प्रस्ताव है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अन्तर्गत कार्यपालक सहायकों के सृजित पदों पर बेल्ट्रॉन से प्राप्त डाटा इंट्री ऑपरेटरों की सेवा उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेने पर कि उक्त कार्यालय (लोक सेवा केन्द्र/शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय) में कार्य निष्पादन में उपयोग के लिये कोई अतिरिक्त कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध नहीं है, रूपया 50,000/- (पचास हजार) की अधिसीमा में बेल्ट्रॉन के पत्र संख्या-6458 दिनांक-19.09.2018 में वर्णित (configuration) या उससे उच्च configuration का कम्प्यूटर सिस्टम (डेस्कटॉप, B/W प्रिंटर, यू.पी.एस. आदि) क्रय कर उस कार्यालय के कार्यालय प्रधान को उपलब्ध करायेंगे तथा उतनी राशि की अधियाचना बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को भेज देंगे। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा उक्त राशि की प्रतिपूर्त्ति गैर वेतन मद में प्राप्त सहायक अनुदान की राशि से तुरंत कर दी जायेगी। उक्त क्रय किया गया कम्प्यूटर सिस्टम (डेस्कटॉप B/W प्रिंटर एवं यू.पी.एस.) बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की सम्पत्ति मानी जायेगी जिसके समुचित रख-रखाव की जवाबदेही संबंधित कार्यालय प्रधान की होगी। तदनुसार बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत कार्यपालक सहायक के रिक्त हुये पदों पर बेल्ट्रॉन से डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा लिये जाने की स्थिति में कार्य निष्पादन के लिये कम्प्यूटर सिस्टम (डेस्कटॉप, B/W प्रिंटर, यू.पी.एस. आदि) उपलब्ध कराने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः-	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दु-11

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित किये गये कार्यपालक सहायकों के नियोजन की अवधि का विस्तार दिनांक-31.03.2022 तक किया गया है, को दिनांक-30.09.2022 तक विस्तारित किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन।

शासी परिषद की 25वीं बैठक के निर्णय के आलोक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से विभागों/जिलों के कार्यालयों को उनकी अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ सशर्त्त नियोजन हेतु उपलब्ध कराये गये हैं।

यह नियोजन मात्र तीन माह हेतु था तथा उक्त अवधि में बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरान्त इनकी सेवा को आवश्यकतानुसार आगे जारी रखा जाना था, अनुत्तीर्ण होने पर तत्काल नियोजन मुक्त किया जाना था।

कोरोना संक्रमण एवं कतिपय कारणों से दक्षता परीक्षा का आयोजन नहीं किये जाने तथा जुलाई, 2021 में आयोजित परीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने एवं तदोपरान्त बेल्ट्रॉन को दक्षता परीक्षा का आयोजन हेतु चयनित एजेंसी का चयन नहीं होने के कारण समय-समय पर अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित कार्यपालक सहायकों का नियोजन अवधि का विस्तार किया गया है।

उक्त क्रम में दिनांक-30.09.2022 तक विस्तारित किया जाता है। शेष शर्त यथावत रहेगें। इस अवधि में इन नियोजित कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रान द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा (जो बेल्ट्रान के डाटा इंट्री आपरेटर (DEO) हेतु निर्धारित मापदंड के अनुरूप होगा) को अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना होगा, परन्तु अनुत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित किये गये कार्यपालक सहायकों के नियोजन की अवधि का विस्तार दिनांक-31.03.2022 तक किया गया है, को दिनांक-30.09.2022 तक विस्तारित किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन।

निर्णय:-	**31 मार्च, 2023 तक नियोजन की अवधि विस्तार के साथ स्वीकृत।**

कार्यावली बिन्दु-12

उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों का सेवा अभिलेख संधारण हेतु निर्गत विहित प्रपत्र को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत संविदात्मक पद पर नियोजित आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायकों के सेवा अभिलेख संधारण हेतु लागू करने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन।

उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का निर्गत संकल्प ज्ञापांक-12534, दिनांक-17.09.2018 द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों का सेवा अभिलेखन किया जाना है।

उक्त क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3/एम०-27/2020 सा०प्र०-1126, दिनांक-31.01.2022 द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों का सेवा अभिलेख संधारण हेतु निर्गत विहित प्रपत्र को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत संविदात्मक पद पर नियोजित आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायकों के सेवा अभिलेख संधारण हेतु लागू किया जाना है।

उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों का सेवा अभिलेख संधारण हेतु निर्गत विहित प्रपत्र को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत संविदात्मक पद पर नियोजित आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायकों के सेवा अभिलेख संधारण हेतु लागू करने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:-	स्वीकृत।

<u>कार्यावली बिन्दु-13</u>

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा संविदा पर नियोजित आई.टी. प्रबंधकों को सरकारी कार्यों में प्रयोग हेतु CUG Sim उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन संचालित प्रशासनिक सुधार के कार्यक्रमों यथा- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एवं बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली आदि के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण कार्यों में आई.टी. प्रबंधकों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागों में एवं जिलों में विभिन्न बैठकों, कार्यक्रमों के आयोजन में आई. टी. संबंधी सहयोग, वीडियो कांफ्रेंसिंग कराना, आई.टी. आधारित अन्य कार्य (निर्वाचन, आपदा आदि) का निष्पादन आदि कार्य किया जाता है। इन कार्यों में CUG SIM की आवश्यकता बार-बार महसूस की जाती है।

सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी जिला पदाधिकारी, सभी अपर समाहर्ता, सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को BSNL का सी.यू.जी. सीम उपलब्ध कराया गया था। पटना एवं बिहार के कई पटना और बिहार के कई स्थानो पर BSNL की 4G सेवाएं उपलब्ध नहीं रहने एवं data की गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाने की प्राप्त शिकायतों के कारण 300 Postpaid CUG SIM की आपूर्ति के लिए प्रति Postpaid CUG SIM मोबाईल कॉल एवं इंटरनेट डाटा (अन्य सुविधा सहित) प्लान का मासिक दर उपलब्ध कराने हेतु Limited Tender Enquiry-01/2021 आमंत्रित किया गया। प्राप्त वित्तीय दर प्रस्तावों में टेलीकॉम सेवा प्रदाता Bharti Airtel Ltd., Patna द्वारा दिए गए न्यूनतम निविदित्त दर (L-1) 230.00 रूपए प्रति सीम मासिक दर पर Bharti Airtel Ltd. के चयन किया गया है।

उपरोक्त निविदित दर पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में संविदा पर स्वीकृत/सृजित 128 आई.टी. प्रबंधकों के प्रयोग हेतु CUG Sim पर प्रति वर्ष (128 unit x12x ₹230.00)=

₹3,53,280.00 (तीन लाख तिरपन हजार दो सौ अस्सी) का व्यय बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को उपलब्ध सहायक अनुदान की राशि के 3106 गैर वेतन मद से किया जाएगा।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा संविदा पर नियोजित आई.टी. प्रबंधकों के सरकारी कार्यों में प्रयोग हेतु CUG Sim उपलब्ध कराने पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:-	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दु:-14

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद की दिसम्बर 2019 की बैठक में जिलों के कार्यपालक सहायकों के पैनल जिनकी वैधता के 3 वर्ष पूरे नहीं हुये थे, से अंतरिम व्यवस्था के रूप में कार्यपालक सहायकों के सशर्त नियोजन के निर्णय क्रम में नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों को दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता से मुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के दिनांक-13.12.2019 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि यह नियोजन मात्र 3 माह के लिए होगा, 3 माह के नियोजन अवधि में इस अंतरिम व्यवस्था अंतर्गत नियोजित सभी कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। दक्षता परीक्षा का स्तर बेल्ट्रॉन के डाटा इन्ट्री आपरेटर (DEO) हेतु निर्धारित मापदंड के अनुरूप होगा, दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन आवश्यकतानुसार 3 माह के उपरांत जारी रखा जा सकता हैं। अनुत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। नियोजन के समय इस आशय का दायित्व पत्र इन नियोजित कार्यपालक सहायकों से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा एवं नियोजन की कार्रवाई बेल्ट्रॉन द्वारा उसकी सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न होने तक की जा सकेगी। उसके उपरांत किसी भी प्रकार का कोई भी नियोजन जिला स्तरीय पैनल से नहीं किया जाएगा। अंतरिम व्यवस्था मात्र तीन माह के लिये की गयी थी तथा यह अपेक्षित था कि इस अवधि में बेल्ट्रॉन द्वारा सूचीकरण की प्रक्रिया एवं अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित कार्यपालक सहायकों का दक्षता परीक्षा का आयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा। कोरोना एवं अन्य कारणों से जुलाई 2021 तक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका। बेल्ट्रॉन के द्वारा दिनांक-31.07.2021 को दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें अंतरिम व्यवस्था अंतर्गत नियोजित 2232 कार्यपालक सहायकों में इनके विरोध के कारण मात्र 731 कार्यपालक सहायकों का ही निबंधन हो सका तथा मात्र 150 कार्यपालक सहायकों द्वारा ही परीक्षा दिया गया। बेल्ट्रॉन द्वारा मात्र Multiple Choice Questions (MCQ) का परीक्षाफल घोषित किया गया है तथा डब्फ मे उत्तीर्ण अंतरीम व्यव्यस्था के तहत नियोजित कार्यपालक सहायकों का टंकण परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं किया गया है। उपरोक्त का कारण बेल्ट्रॉन द्वारा इस कार्य हेतु चयनित ऐजेंसी का एकरारनामा समाप्त होना तथा नये एजेंसी का चयन प्रक्रियाधीन होना बताया गया है। वस्तुतः परीक्षा का आयोजन अभी तक नहीं किया जा सका है।

उपरोक्त निर्णय के लगभग 13 माह के बाद बेल्ट्रॉन द्वारा जनवरी 2021 में सूचित किया गया कि उनके द्वारा सूचीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। फलस्वरूप शासी परिषद की दिसम्बर 2019 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में जिलास्तर के पैनल निष्प्रभावी हो गये। आगे नियोजन की कार्रवाई बेल्ट्रॉन से सीधे अधियाचना करके की जा रही है। दक्षता परीक्षा का आयोजन नहीं होने के कारण अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों का नियोजन अवधि का विस्तार अनेकों बार किया गया है। वर्तमान उनके नियोजन अवधि का विस्तार दिनांक 30.09.2022 तक किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा इन अंतरिम व्यवस्था से संबंधित शर्तो को समाप्त करने का अनुरोध किया जा रहा है। विधान सभा एवं विधान परिषद् के लगभग सभी सत्र में सोसाइटी के इस निर्णय के संबंध में प्रश्न किये गये है। इस व्यवस्था को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में इस व्यवस्था के विरूद्ध अनेक वाद दायर किये गये है।

CWJC **7459/2020** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक **01.12.2021** को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:-

> *"10. In the light of these facts and circumstances, the petitioners have made out a case so as to interfere with Annexure A 1 order dated 22.12.2019. Thus, insofar as petitioners selection and appointment to the post of Executive Assistant pursuant to the advertisement dated 06.08.2018 is concerned, the impugned order dated 23.12.2019, Annexure 1 relating to prescription of proficiency test to be conducted by BELTRON to the post of Executive Assistant on contract basis under the advertisement dated 06.08.2018 is not applicable. The official respondents cannot prescribe passing of proficiency test to be conducted by BELTRON pursuant to the order dated 23.12.2019 insofar as petitioners are concerned. Accordingly, petition is allowed.*
>
> *11. At this stage, learned counsel for the State relied on decision passed in CWJC 5823 of 2020 in which the impugned order was not interfered. This Court has not taken note of the fact that advertisement is dated 06.08.2018, panel was prepared on 02.03.2019 and a game changer like adding additional qualification insofar as passing of proficiency test to be conducted by BELTRON is dated 23.12.2019 and has no retrospective effect and it is only executive order. Executive orders would be always prospective in nature."*

यह उल्लेखनीय है कि इस आदेश के विरूद्ध LPA एवं स्थगन आदेश हेतु अनुरोध दायर किया गया है जिसमें अभी सुनवाई नहीं हुयी है। इस मामले में एक वादी यथा विनोद कुमार अग्रवाल द्वारा अवमाननावाद दायर किया गया है। L.P.A. में सुनवाई नहीं होने तथा कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं होने को दृष्टिगत रखकर अवमाननावाद के आलोक में CWJC **7459/2020** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक **01.12.2021** को पारित आदेश का अनुपालन करते हुये याचिका में वादियों के मामले में उनकों दक्षता परीक्षा

की अनिवार्यता से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश संबंधित L.P.A. के फलाफल से प्रभावित होगा।

दिसम्बर, 2019 में शासी परिषद के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजन की कार्रवाई जिलों में बेल्ट्रॉन द्वारा सूचीकरण की प्रक्रिया सम्पन्न होने की सूचना प्राप्त होने (जनवरी, 2021) तक की गयी है। जनवरी, 2021 तक जिन अभ्यर्थियों का नियोजन अंतरिम व्यवस्था के तहत किया गया है उनके द्वारा अब तक 19 माह या उससे अधिक का नियोजन काल पूर्ण कर लिया गया है। बेल्ट्रॉन के द्वारा दक्षता परीक्षा के आयोजन के संबंध में स्थिति अस्पष्ट रहने के कारण इस व्यवस्था के तहत नियोजित कार्यपालक सहायकों के नियोजन की अवधि को दिनांक-30.09.2022 तक विस्तारित किया गया है, अर्थात 3 माह की अंतरिम व्यवस्था को अब तक 2 वर्ष 9 माह तक विस्तारित किया गया है। इस प्रकार इस व्यवस्था के तहत नियोजित कार्यपालक सहायकों को 19 माह से लेकर 2 वर्ष 8 माह से अधिक अवधी का अनुभव प्राप्त हो गया है। इनका कार्य अगर संतोषजनक नहीं होता तो इनको अनुशासनिक दृष्टि से हटा दिया गया होता।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दृष्टिपथ रखते हुये बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद की दिसम्बर 2019 की बैठक में जिलों के कार्यपालक सहायकों के पैनल जिनकी वैधता के 3 वर्ष पूरे नही हुये थे, से अंतरिम व्यवस्था के रूप में कार्यपालक सहायकों के शर्त नियोजन के निर्णय क्रम में नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों को प्राप्त हो गये अनुभव के दृष्टिगत इनको दक्षता परीक्षा की अनिवार्यता से मुक्त किये जाने का प्रस्ताव है। किसी व्यक्ति विशेष के दक्षता की कमी के संबंध में जानकारी होने पर उनकी दक्षता की जाँच करवाने का विकल्प हमेशा रहेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः-	उच्च न्यायलय में दायर LPA के निर्णय की प्रतीक्षा की जाए।

<u>कार्यावली बिन्दु-15</u>

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत आई0 टी0 प्रबंधक के सृजित संविदात्मक पदों पर नियोजित कर्मियों (संविदा) के यात्रा भत्ता में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन।

शासी परिषद की दिनांक-11.03.2015 की बैठक में कार्यावली बिन्दु-15 अंतर्गत आई0 टी0 प्रबंधकों के लिये यात्रा व्यय की अनुमान्यता स्वीकृति दी गयी थी। यह उल्लेखनीय है कि शासी परिषद की दिनांक-11.03.2015 की बैठक में लिए गए उपरोक्त निर्णय उस समय लागू सरकारी सेवकों के लिए यात्रा भत्ता अंतर्गत 2400-4600 रूपए ग्रेड पे की अनुमान्यता को दृष्टिगत रखकर लिया गया था।

वर्तमान में आई0 टी0 प्रबंधकों को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम तथा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के क्रम में प्रखंडो का एवं लोक सेवा केन्द्रों का भ्रमण/निरीक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण वर्तमान में उक्त क्रम में होने वाले व्यय का वहन उनके द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसे भी मामले दृष्टांत में आये है जिनमें आई0 टी0 प्रबंधक को राज्य के

बाहर बैठकों में दिल्ली अथवा अन्य शहरों में जाना पड़ता है, तथा उक्त क्रम में विभागों द्वारा स्वीकृती हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होते है। विभिन्न विभागीय बैठकों में भी भाग लेने हेतु भी इनकों पटना मुख्यालय आना होता है।

उपरोक्त वर्णित के क्रम में आई. टी. प्रबंधकों के लिये स्वीकृत यात्रा भत्ता को वित्त विभाग का संलक्प ज्ञापांक-8044, दिनांक-11.10.2017 अंतर्गत वेतन स्तर 6, 7, 8 एवं 9 हेतु अनुमान्य दर को दृष्टिगत रखकर निम्नवत् संशोधित किये जाने का प्रस्ताव है:-

क्र० सं०	शासी परिषद की दिनांक-11.03.2015 की बैठक में वर्त्तमान में लागू व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था
1.	पटना तक आने जाने हेतु ट्रेन में AC-III/Ac Chair (Executive Class छोड़कर) की अनुमान्यता होगी। सड़क यात्रा की स्थिति में Non Ac Bus का किराया मान्य होगा।	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा आयोजित बैठक/ कार्यक्रम/ कार्यशाला में अथवा विभागीय बैठक/ कार्यक्रम/ कार्यशाला में जिला/प्रमंडलीय मुख्यालय से पटना तक आने जाने हेतु ट्रेन में AC-2nd Class/ AC-III/ AC Chair (Executive Class छोड़कर) की अनुमान्यता होगी। सड़क यात्रा की स्थिति में AC Bus का किराया मान्य होगा।
2.	पटना शहर में Bus/Auto की अनुमान्यता होगी। Auto में यात्रा करने पर प्रतिकिलोमिटर 8 रू0 की अनुमान्यता होगी।	मुख्यालय की बैठक/ कार्यक्रम/ कार्यशाला अथवा विभागीय बैठक/ कार्यक्रम/ कार्यशाला में भाग लेने हेतु पटना आगमन के उपरांत निर्धारित कार्य हेतु तथा रात्री विश्राम हेतु होटल आदि में आवासन के लिये शहर में की गयी यात्रा हेतु Bus/Auto/Taxi की अनुमान्यता होगी। Bus/Taxi में हुये व्यय के प्रतिपूर्ति के लिये टिकट/भुगतान का Invoice देना होगा, जो प्रति कि0 मी0 20 रू0 की अधिसीमा के अंतर्गत होगा। विशेष परिस्थिति में बैठक/ कार्यक्रम/ कार्यशाला में भाग लेने हेतु चार पहिया निजी वाहन से यात्रा करने पर 15 रू0 प्रति कि0मी0 की दर से जिला पदाधिकारी की अनुमति से भुगतान किया जायेगा।
3.	दैनिक भत्ता पटना शहर के लिए 1000 रू0 होटल की दर एवं 200 रूपये सामान्य दर होगी। सरकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाउस अथवा स्वयं की व्यवस्था के लिए सामान्य दर लागू होगी। होटल का अर्थ निबंधित या लाईसेन्स प्राप्त होटल या गेस्ट हाउस होगा। होटल में रहने की दर, रहने और खाने की संयुक्त	दैनिक भत्ता पटना शहर के लिए 1500 रू0 होटल की दर एवं 600 रूपये सामान्य दर होगी। सरकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाउस अथवा स्वयं की व्यवस्था के लिए सामान्य दर लागू होगी। होटल का अर्थ निबंधित या लाईसेन्स प्राप्त होटल या गेस्ट हाउस होगा। उपर्युक्त होटल दर आवासन एवं भोजन पर व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिसीमा है, बशर्ते कि वास्तविक अभिश्रव का समर्पण किया जाए।

	दर है जो कि अधिकतम अनुमान्य है बशर्ते इसके लिए आवश्यक अभिश्रव पेश किया जाय।	विभागीय आई0टी0 प्रबंधकों तथा विशेष परिस्थिति में प्रमंडलीय मुख्यालय/ जिलों में पदस्थापित आई0टी0 प्रबधकों को राज्य के बाहर आयोजित बैठकों/ कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु अनुमति संबंधित विभाग द्वारा दी जायेगी। उक्त क्रम में की गयी यात्राओं हेतु कंडिका-1 एवं 2 के अनुसार यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। विशेष परिस्थिति में विमान (इकोनोमी) से यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी, यह अनुमति सरकार के प्रधान सचिव/ सचिव प्रदान कर सकेंगे। मेट्रो श्रेणी के शहरों के लिये 2800 रू0 होटल की दर एवं 800 रूपये सामान्य दर होगी। होटल का अर्थ निबंधित या लाईसेन्स प्राप्त होटल या गेस्ट हाउस होगा। उपर्युक्त होटल दर आवासन एवं भोजन पर व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिसीमा है, बशर्ते कि वास्तविक अभिश्रव का समर्पण किया जाए।
4.	यह सुविधा केवल राज्य मुख्यालय के बाहर के आई0 टी0 प्रबंधको को राज्य मुख्यालय में बैठको के लिए मान्य होगी।	कंडिका 1 से 3 तक की सुविधा केवल राज्य मुख्यालय के बाहर के आई0 टी0 प्रबंधको को राज्य मुख्यालय में बैठको/कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मान्य होगी।
5.	भुगतान उस कार्यालय से होगा जहाँ से मानदेय प्राप्त होता है।	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की बैठकों/कार्यक्रम/कार्यशाला हेतु की गयी यात्रा भत्ता मद में भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा गैर वेतन मद में उपलब्ध करायी गयी निधि से उस कार्यालय से होगा जहाँ से मानदेय प्राप्त होता है। अन्य विभागों की बैठकों/कार्यक्रम/कार्यशाला हेतु की गयी यात्रा भत्ता का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

6. आई0टी0 प्रबंधकों को जिला अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में की जाने वाली यात्रा हेतु कार्यालय की ओर से वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में Taxi की अनुमान्यता होगी, तथा Taxi में हुये व्यय के प्रतिपूर्ति के लिये भुगतान का Invoice देना होगा, जो प्रति कि0 मी0 20 रू0 की अधिसीमा के अंतर्गत होगा। चार पहिया निजी वाहन से यात्रा करने पर 15 रू0 प्रति कि0मी0 की दर से जिला पदाधिकारी की अनुमति से भुगतान किया जायेगा। Tour Diary का अनुमोदन आवश्यक होगा।

उपरोक्त प्रस्ताव पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः-	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दु-16

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत संविदा पर नियोजित आई०टी० सहायक जिनके द्वारा 01.07.2018 को सफल तरीके से 5 वर्ष या अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया गया है, हेतु आई0टी0 सहायक वर्ग-2 के रूप में अलग वर्ग तथा विशेष भत्ता के निर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन।

दिनांक-20.09.2019 को आयोजित शासी परिषद की 24वीं बैठक के कार्यावली बिन्दु-05 के रूप में तथा दिनांक-10.06.2020 को आयोजित शासी परिषद की 26वीं बैठक में शासी परिषद के अनुमोदन के लिए वैसे आई0 टी0 सहायक जिनके द्वारा 01.07.2018 को सफल तरीके से 05 वर्ष या अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया गया है, के लिए आई.टी. सहायक वर्ग-2 के रूप में अलग वर्ग तथा 3,000.00 रूपए मासिक विशेष भत्ता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव लाया गया था।

शासी परिषद की 24वीं बैठक में लिये गये निर्णय यथा बेल्ट्रॉन के माध्यम से समकक्ष योग्यता के नियोजित किए जाने वाले कर्मियों के मानदेय संरचना से इसकी समीक्षा कर अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाए, के क्रम में सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया कि सूचना प्रावैधिकी विभाग में आई०टी० सहायक के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आई०टी० अथवा कम्प्यूटर क्षेत्र में स्नातक (B.C.A./B.Sc.(I.T./Computer) के समकक्ष योग्यता वाला कोई भी पद नहीं हैं।

तदालोक में शासी परिषद की 26वीं बैठक में कार्यावली बिन्दु-7 अंतर्गत यह प्रस्ताव रखा गया कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक वर्ग-2 के कार्यपालक सहायकों को रू 2800.00 (दो हजार आठ सौ रूपया मात्र) का प्रतिमाह विशेष भत्ता के प्रावधान तथा आई०टी० सहायक आई०टी० सहायकों की सदृश कार्य प्रकृति (उनका भी कार्य क्षेत्र कार्यपालक सहायक के समान प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं जिला जैसे कार्यालयों में है), को दृष्टिगत रखकर कार्यपालक सहायक वर्ग-2 की भांति सफल तरीके से 05 वर्ष अथवा 05 वर्ष से अधिक पूर्ण कर लेने वाले उन आई०टी० सहायक का अलग वर्ग आई0टी0 सहायक वर्ग-2 का स्तर निर्धारित करते हुए विशेष भत्ता (3000/- रूपये प्रति माह) का प्रावधान कर दिया जाए। शासी परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को अगली बैठक में विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

उक्त क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक वर्ग-2 के कार्यपालक सहायकों को रू 2800.00 (दो हजार आठ सौ रूपया मात्रा) का प्रतिमाह विशेष भत्ता के प्रावधान तथा आई०टी० सहायक आई०टी० सहायकों की सदृश कार्य प्रकृति (उनका भी कार्य क्षेत्र कार्यपालक सहायक के समान प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं जिला जैसे कार्यालयों में है), को दृष्टिगत रखकर कार्यपालक सहायक वर्ग-2 की भांति सफल तरीके से 05 वर्ष अथवा 05 वर्ष से अधिक पूर्ण कर लेने वाले उन आई०टी० सहायक का अलग वर्ग आई0टी0 सहायक वर्ग-2 का स्तर निम्नवत् निर्धारित करते हुए विशेष भत्ता (3000/- रूपये प्रति माह) का प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव है:-

आई0टी0 सहायक वर्ग-2		
क्रम सं0	विवरण	दर (रू. में)
1	मूल मानदेय	संदर्भित मामले में प्रभावी तिथि को अनुमान्य
2	अन्य भत्ता	संदर्भित मामले में प्रभावी तिथि को अनुमान्य

3	विशेष भत्ता	3000.00
4	ई0पी0एफ अंशदान नियोक्ता– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 13 प्रतिशत) EPS(8.33%) EPF(12%-8.33%=3.67%) EDLI(.5%) EPF-Administration(.5%) EDLI-Administration(0%) Total	अनुमान्य
5	Cost to BPSM (1+2+3+4)	गणना अनुसार
6	ई0पी0एफ अंशदान कर्मी– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 12 प्रतिशत)	अनुमान्य
7	टेक होम मानदेय (1+2+3)–6	गणना अनुसार

यह व्यवस्था दिनांक-01.01.2023 से प्रभावी होगी। तदोपरांत यह गणना प्रत्येक वर्ष के 01ली जुलाई एवं 01ली जनवरी को की जाएगी तथा उक्त तिथि को सफल तरीके से 5 वर्ष या अधिक पूरा करने वाले को इस वर्ग में शामिल किया जायेगा। इस व्यवस्था के तहत 672X3000X12= 2.42 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय आएगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:-	स्वीकृत।

<u>कार्यावली बिन्दु- 17</u>

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के आदेशपाल-सह-चालक श्री प्रभु प्रजापति को पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार प्राप्त अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन पर वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक के आलोक में अनुमान्य महंगाई भत्ता की अंतर राशि का बकाया भुगतान एवं भविष्य में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी की जाने वाली महंगाई भत्ता में होने वाली अनुमान्य वृद्धियों के अनुरूप भुगतान किये जाने के बिन्दु पर शासी परिषद का अनुमोदन।

श्री प्रभु प्रजापति, बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड, पटना का वर्ष **1996** में 01.01.1996 के प्रभाव से आदेशपाल के रूप में उनका वेतन निर्धारित किया गया। वहाँ से दिनांक-15.11.2009 से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में आदेशपाल-सह-चालक के रूप में प्रतिनियुक्त हुए, जिनका मूल वेतन **3380/-** था और वर्त्तमान में भी मूल वेतन **3380/-** ही प्राप्त हो रहा है।

श्री प्रभु प्रजापति को पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार प्राप्त अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन पर वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक-**5364**, दिनांक-26.06.2019 के आलोक में **295** प्रतिशत की दर से अनुमान्य महंगाई भत्ता की राशि का भुगतान मिशन कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

अंकनीय है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8951, दिनांक-11.11.2019 द्वारा दिनांक-01.07.2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता 295 प्रतिशत से बढ़ाकर 312 प्रतिशत, संकल्प संख्या-6600, दिनांक-

27.09.2021 द्वारा दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से 312 प्रतिशत से बढ़ाकर 356 प्रतिशत एवं 356 प्रतिशत से बढ़ाकर 368 प्रतिशत की दर से स्वीकृत किया गया है ।

अतः श्री प्रभु प्रजापति जो पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहें है-को वर्णित वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में अनुमान्य महंगाई भत्ता की अंतर राशि का बकाया भुगतान एवं भविष्य में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी की जाने वाली महंगाई भत्ता में होने वाली अनुमान्य वृद्धियों के फलस्वरूप भुगतान किये जाने के बिन्दु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है ।

निर्णयः-	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दु-18

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद की 30वीं0 बैठक दिनांक-17.12.2021 में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-17375, दिनांक-17.12.2014 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं सुधार सपोर्ट यूनिट के लिए स्वीकृत एवं शेष रह गये 2807 पदों में से 2802 पदों का वित्तीय वर्ष 2019-20 से अगले आदेश तक अवधि विस्तार, कम्प्यूटर ऑपरेटर के 05 पदों के प्रत्यर्पण तथा 17 नए पदों (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का 10 पद तथा ऑफिस ब्वॉय/गर्ल का 07 पद) के सृजन की स्वीकृति के क्रम में दिनांक-13.01.2022 को आयोजित लोक वित्त समिति की बैठक में की गयी पृच्छाये एवं निदेश के आलोक में संशोधित प्रस्ताव यथा संलग्न अनुलग्नक-'4' में वर्णित 2802 पद जिनका अवधि विस्तार किया जाना है, का वित्तीय वर्ष 2019-20 से अगले 07 वर्षो तक अवधि विस्तार किये जाने एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के 5 पद जिनकी आवश्यकता इस पदनाम से नहीं है का प्रत्यर्पण किये जाने तथा अनुलग्नक -5 के अनुसार 37 नये पदों (आई0टी0 प्रबंधक का 15 पद, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का 10 पद, ऑफिस ब्वॉय/गर्ल का 07 पद तथा हेल्पलाईन एक्जीक्यूटिव के 05 पद) के सृजन के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-17375, दिनांक-17.12.2014 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं सुधार सपोर्ट यूनिट के लिए पूर्व से स्वीकृत 15 पदों का अगले पाँच वर्षो के लिए अवधि विस्तार तथा अतिरिक्त 2811 (दो हजार आठ सौ ग्यारह) पदों का पाँच वर्षों के लिए सृजन की स्वीकृति संसूचित की गयी है। अर्थात कुल-2826 पदों का पाँच वर्षो के लिए सृजन अवधि विस्तार किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-10748, दिनांक-22.08.2017 द्वारा सुधार सपोर्ट यूनिट के लिये स्वीकृत उपरोक्त 2826 पदों में से मिशन निदेशक (01 पद), अपर मिशन निदेशक (01 पद), प्रशासनिक पदाधिकारी (01 पद), प्रोक्योंमेंट पदाधिकारी (01 पद), वित्त एवं लेखा पदाधिकारी (01 पद), प्रशाखा पदाधिकारी (02 पद), सहायक सचिवालय सेवा (04 पद), निजी सहायक तथा (स0आशु0 संवर्ग) (04 पद) तथा निम्नवर्गीय लिपिक/उच्चवर्गीय लिपिक (04 पद) अर्थात कुल-19 पद सरकारी होने के कारण का मिशन निदेशक के पद को छोड़कर शेष पदों का सृजन सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

के लिये गैर योजना मद में सृजित कर लिये जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-17375, दिनांक-17.12.2014 द्वारा सृजित/अवधि विस्तार वाले कुल पदों की संख्या वस्तुतः 2807 रह गयी।

उपरोक्त के क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत सामान्य प्रशसन विभाग के ज्ञापांक-17375, दिनांक-17.12.2014 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं सुधार सपोर्ट यूनिट के लिए स्वीकृत एवं शेष रह गये 2807 पदों में से 2802 पदों का वित्तीय वर्ष 2019-20 से अगले आदेश तक अवधि विस्तार का प्रस्ताव एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के 05 पदों के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव तथा 17 नए पदों (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का 10 पद तथा ऑफिस ब्यॉय/गर्ल का 07 पद) के सृजन का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था।

लोक वित्त समिति की दिनांक-13.01.2022 की बैठक में उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन, अगले आदेश तक अवधि विस्तार का औचित्य तथा इन पदों की उपयोगिता के संबंध में पृच्छा की गयी थी तथा समरूप पदों को समूह में एकत्रित करने का सुझाव दिया गया था, के क्रम में वस्तुस्थिति निम्नवत है:-

क्र.	पृच्छा	वस्तुस्थिति/प्रस्ताव
1	क्या प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्राप्त है।	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद की 30वीं0 बैठक दिनांक-17.12.2021 के कार्यावली बिन्दु 07 में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-17375, दिनांक-17.12.2014 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं सुधार सपोर्ट यूनिट के लिए स्वीकृत एवं शेष रह गये 2807 पदों में से 2802 पदों का अगले का वित्तीय वर्ष 2019-20 से अगले आदेश तक अवधि विस्तार के प्रस्ताव, कम्प्यूटर ऑपरेटर के 05 पदों के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव तथा 17 नए पदों (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का 10 पद तथा ऑफिस ब्यॉय/गर्ल का 07 पद) के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।
2	अवधि विस्तार अगले आदेश तक किये जाने का औचित्य	सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-12534, दिनांक-17.09.2018 द्वारा संविदात्मक पदों पर नियोजन के संबंध में प्रावधान किया गया है कि संविदात्मक पदों पर नियुक्ति योजना/पद स्वीकृति की अवधि तक लिये होगी एवं संविदा कर्मियों का नियोजन सेवानिवृति की आयु तक अथवा योजना अवधि तक, जो भी पहले हो तक के लिये होगा। यह उल्लेखनीय है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम एवं बिहार लोक षिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन सहित बिहार सरकारी सेवक शिकायत प्रणाली, सम्पत्ति विवरणी प्रकाशन, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन आदि का कार्य किया जाता है। अधिनियम कार्यान्वयन हेतु कोई अवधि नहीं होने के कारण अगले आदेश तक अवधि विस्तार का प्रस्ताव दिया गया था। लोक वित्त समिति की बैठक में हुयी चर्चा के आलोक में वर्णित 2802 पदों का वित्तीय वर्ष 2019-20 से अगले 07 वर्षो तक अवधि विस्तार किये जाने का प्रस्ताव हैं।
3	इन पदों की आगे उपयोगिता	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन सहित बिहार सरकारी सेवक शिकायत प्रणाली, सम्पत्ति विवरणी प्रकाशन, मानव संसाधन प्रबंधन

		प्रणाली के कार्यान्वयन आदि का कार्य किया जाता है। जिन 2802 पदों के अवधि विस्तार का प्रस्ताव है उनमें से 80 पद आई0टी0 प्रबंधक का है, 767 पद आई0टी0 सहायक का है तथा 1759 पद कार्यपालक सहायक है। आई0टी0 प्रबंधक में इन 80 पद के अतिरिक्त आगे भी सृजित पदों को मिलाकर कुल 113 आई0टी0 प्रबंधकों का पद सृजित है जिसमें 09 पद मुख्यालय स्तर पर है, 44 पद विभागों में है, 09 पद प्रमंडल स्तर पर है, 38 पद जिला स्तर पर है। इसके अतिरिक्त बिहार भवन, बिपार्ड, विभिन्न आयोग एवं महत्वपूर्ण कार्यालयों में भी पद सृजित है। इनके द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से संबंधित योजनाओं आदि के कार्यान्वयन के साथ साथ संबंधित स्तर/कार्यालय में दिये गये तकनीकि दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। इसी प्रकार आई0टी0 सहायकों द्वारा भी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से संबंधित योजनाओं आदि के कार्यान्वयन के साथ साथ संबंधित स्तर/कार्यालय में दिये गये तकनीकी दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। अतः इन पदों के अवधि का विस्तार आवश्यक है। कार्यपालक सहायकों के वर्णित 1759 पद में से 1605 पद बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के जिला, अनुमंडल एवं प्रखण्ड स्तर पर तकनीकी कार्यान्वयन हेतु सृजित किये गये थे। इनके द्वारा लोक सेवाओं के केन्द्रों पर आवेदन प्राप्त करने उनको कम्प्यूटरीकृत करने, आवेदनों के निष्पादन होने पर प्रमाण पत्र को सर्वर पर अपलोड करने आदि का कार्य किया जाता है। ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था लागू होने से काउटंरो पर आवेदन तो कम प्राप्त हो रहे परन्तु कांउटर के माध्यम से प्रमाण पत्र निर्गत करने तथा प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में संबंधित कर्मचारी एवं पदाधिकारी को तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कार्य बढ़ गया है। विदित है कि वर्तमान में अवधि विस्तार की प्रत्याशा में सभी कार्यरत है तथा इनकी आगे भी आवश्यकता है। कार्यपालक सहायक के 154 पद जो जन शिकायत पदाधिकारी के सहायोग हेतु है, वर्तमान में रिक्त है। जैसे-जैसे जन शिकायत पदाधिकारी का नियोजन किया जायेगा, समरूप संख्या में कार्यपालक सहायक का नियोजन किया जायेगा। अतः आई0टी0 प्रबंधक के 80 पद, आई0टी0 सहायक के 767 पद तथा कार्यपालक सहायक के 1759 पदों का अवधि विस्तार आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित शेष पद बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (मुख्यालय) के कार्यालय में सोसाइटी के कार्यों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु सृजित है। जिनकी आगे भी आवश्यकता है।
4	समरूप पदों को समूहो में एकत्रित करने का सुझाव	वर्णित सभी पदों के सृजन पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त है अतः इनके नाम में बदलाव तथा समूहीकरण किया जाना उचित नहीं होगा।

उपरोक्त के आलोक में संलग्न अनुलग्नक-'4' में वर्णित 2802 पद जिनका अवधि विस्तार किया जाना है, का वित्तीय वर्ष 2019-20 से अगले 07 वर्षों तक अवधि विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर के 5 पद जिनकी आवश्यकता इस पदनाम से नहीं है के प्रर्त्यापण का प्रस्ताव है। साथ ही विभिन्न विभागों/न्यायाधिकरणों/आयोगों से प्राप्त हो रहे अनुरोध/अधियाचना के आलोक में आई0टी0 प्रबंधक के 15 नये पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव जो शासी परिषद की बैठक में पारित है तथा कार्यावली बिन्दु -8 की घटनोत्तर अनुमोदन

के क्रम में हेल्पलाईन एक्जीक्यूटिव के 05 अतिरिक्त पद का इस प्रस्ताव में समावेश करते हुये संलग्न अनुलग्नक-'5' अनुसार 37 नये पदों (आई0टी0 प्रबंधक का 15 पद, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का 10 पद, ऑफिस ब्यॉय/गर्ल का 07 पद तथा हेल्पलाईन एक्जीक्यूटिव के 5 पद) के सृजन का भी प्रस्ताव है। प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:-	स्वीकृत।

<u>कार्यावली बिन्दु:-19</u>

राज्य अंतर्गत सभी प्रखंड–सह-अंचल कार्यालय में अवस्थित कुल 534 लोक सेवा केन्द्रों हेतु बैट्री एवं इन्वर्टर के क्रय/मरम्मति तथा सभी 101 अनुमंडलीय एवं सभी 38 जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में वैकल्पिक इंटरनेट व्यवस्था करने, रंगाई/पुताई, दीवाल लेखन तथा बैट्री एवं इन्वर्टर के क्रय/मरम्मति हेतु राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा सभी 534 लोक सेवा केन्द्रों एवं सभी 101 अनुमंडलीय एवं सभी 38 जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय पर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैट्री एवं इन्वर्टर क्रय करने हेतु एक लाख रुपये प्रति लोक सेवा केंद्र एवं एक लाख रुपये प्रति लोक शिकायत निवारण कार्यालय की दर से माह अगस्त, 2018 में सभी जिला को राशि उपलब्ध करायी थी। बैट्री एवं इन्वर्टर क्रय करने हेतु उक्त राशि को उपलब्ध कराये हुये 04 वर्ष से अधिक की अवधि हो चुकी है। जिलों से बैट्री एवं इन्वर्टर के ख़राब हो जाने की सूचना देते हुये इस हेतु राशि की माँग की जा रही है।

सभी जिला एवं सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत लोक शिकायत निवारण कार्यालयों हेतु वैकल्पिक इंटरनेट व्यवस्था करने, रंगाई/पुताई, दीवाल लेखन आदि हेतु भी जिलों को राशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

बैट्री एवं इन्वर्टर क्रय/मरम्मति करने हेतु एक लाख रुपये प्रति लोक सेवा केंद्र एवं एक लाख रुपये प्रति लोक शिकायत निवारण कार्यालय की दर से जिलों को राशि उपलब्ध कराये जाने पर संभावित व्यय की गणना तथा सभी जिला एवं सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत लोक शिकायत निवारण कार्यालय हेतु वैकल्पिक इंटरनेट व्यवस्था करने, रंगाई/पुताई, दीवाल लेखन आदि हेतु प्रति लोक शिकायत निवारण कार्यालय एक लाख रूपये जिलों को उपलब्ध कराये जाने पर संभावित व्यय की गणना निम्नवत है:-

कार्यालय की विवरणी	कार्यालयों की कुल संख्या	बैट्री एवं इन्वर्टर क्रय/मरम्मति करने हेतु प्रति कार्यालय राशि	वैकल्पिक इंटरनेट व्यवस्था करने, रंगाई/पुताई, दीवाल लेखन हेतु प्रति कार्यालय राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5
प्रखंड –सह- कार्यालयों में अवस्थित लोक सेवा केन्द	534	1,00,000.00	-	5,34,00,000.00
जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय	38	1,00,000.00	1,00,000.00	76,00,000.00
अनुमंडलीय लोक शिकायत	101	1,00,000.00	1,00,000.00	2,02,00,000.00

निवारण कार्यालय				
			संभावित कुल व्यय:-	8,12,00,000.00
				(आठ करोड़ बारह लाख)

उपर्युक्त तालिका के अनुसार कॉलम-5 में वर्णित कुल रू. 8,12,00,000.00 (आठ करोड़ बारह लाख) को सभी लोक सेवा केन्द्रों तथा सभी (जिला एवं अनुमंडल) लोक शिकायत निवारण कार्यालयों हेतु बैट्री एवं इन्वर्टर क्रय/मरम्मति करने तथा सभी (जिला एवं अनुमंडल) लोक शिकायत निवारण कार्यालयों हेतु वैकल्पिक इंटरनेट व्यवस्था करने, रंगाई/पुताई, दीवाल लेखन आदि हेतु राशि आवंटन की उपलब्धता के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः-	प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय में संचालित लोक सेवा केन्द्र के लिए बैट्री एवं इनवर्टर के क्रय/मरम्मति करने हेतु अधिकतम 50,000.00 (पचास हजार) रूपए, जिला/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय के लिए बैट्री एवं इनवर्टर के क्रय/मरम्मति करने हेतु अधिकतम 50,000.00 (पचास हजार) रूपए तथा प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय में संचालित लोक सेवा केन्द्र के लिए रंगाई, पुताई, दीवाल लेखन, फर्नीचर एवं वैकल्पिक इंटरनेट आदि की व्यवस्था हेतु अधिकतम 1,00,000.00 (एक लाख) रूपए आवंटित करने की स्वीकृति दी गयी। जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की उपलब्ध कराए गए आवंटन किसी भी परिस्थिति में दूसरे कार्यों में खर्च नहीं हो।

<u>कार्यावली बिन्दु -20</u>

शासी परिषद की 29वीं बैठक की कार्यावली बिन्दु-8 मे लिया गया निर्णय यथा बेल्ट्रॉन से सूचीकरण व्यवस्था की सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो गये जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायक के पैनल जिनकी वैद्यता की अवधि (पैनल निर्माण की तिथि से 3 वर्ष) पूर्ण नहीं हुयी थी, में प्रतीक्षारत रह गये अभ्यर्थियों को बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में अपने खर्च पर सम्मिलित होने हेतु अवसर दिये जाने तथा उत्तीर्ण होने पर बेल्ट्रॉन के पैनल में शामिल किये जाने के क्रम में दक्षता परीक्षा का आयोजन नहीं होने से इस निर्णय का क्रियान्वयन नहीं हो सका है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में लिये इस निर्णय को लागू किये जाने में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत इन पैनलों में प्रतीक्षारत रह गये अभ्यर्थियों का नियोजन जिला अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध किये जाने हेतु एक बार **(One Time)** प्रावधान किये जाने की स्वीकृति तथा उक्त हद तक पूर्व निर्णय के संशोधन के सबंध में।

शासी परिषद की 29वीं बैठक (दिनांक-05.02.2021) की कार्यावली बिन्दु-8 मे अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि बेल्ट्रॉन से सूचीकरण व्यवस्था की सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो गये जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायक के पैनल जिनकी वैद्यता की अवधि (पैनल निर्माण की तिथि से 3 वर्ष) पूर्ण नहीं हुयी थी, में प्रतीक्षारत रह गये अभ्यर्थियों को बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में अपने खर्च पर सम्मिलित होने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा उत्तीर्ण होने पर बेल्ट्रॉन के पैनल में शामिल किया जायेगा। उक्त क्रम में उनको शैक्षणिक योग्यता तथा उम्र सीमा में छुट प्रदान की जायेगी।

विदित हो कि यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या-8379/2020 पारित निम्नलिखित आदेश के आलोक में लिया गया था:-

"Heard learned counsel for the petitioners and learned counsel for the State respondent. Learned counsel for the petitioners submit that they participated in the process of selection for contractual appointment of Executive Assistants pursuant to the District advertisement issued on 10.08.2018. The same contemplated preparation of a panel from which the Executive Assistants were to be appointed on contractual basis as per requirement up bill 20.10.2020.

The State has taken a policy decision that now the selection shall be done by the Beltron centrally and also to enforce and ensure that candidates, who were selected have cleared the Examination of Data Entry Operator conducted by the Beltron. It is submitted that the petitioners are willing to better their qualifications by clearing the Examination of Data Entry Operator and as such, their claim for appointment from the panel prepared pursuant to the District Advertisement dated 10.08.2018 may be considered subject to their acquiring the said qualification.

Learned State counsel has submitted that the change in policy was required for administrative efficiency. The advertisement itself contemplated that the process of selection could be cancelled and abandoned altogether at any point of time. The petitioners are not in position to assert that irrespective of the State Government's policy decision for better administration based on more qualified candidates, those who are less qualified must be selected as Executive Assistants and placed at par with Data Entry Operators, who are more qualified Considering the rival submissions, this Court would observe that the prayer of the petitioners for being selected subject to their acquiring higher qualifications may be considered by the Principal Secretary General Administration Department, Govt. of Bihar, Patna, (Respondent no.1).

The petitioners counsel submits that the petitioners would be approaching the respondent no. 1 with such claim by making a detailed representation within a period of three (03) weeks from today in the event such an application / representation is made needless to say, that the respondent no.1 would be legally obliged to consider the same and dispose it off by a reasoned and speaking order within a period of six (06) weeks, thereafter.

The writ petition stands disposed off in the aforesaid terms."

दक्षता परीक्षा का आयोजन नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में लागू व्यवस्था के क्रियान्वयन में हो रहे विलम्ब के कारण माननीय उच्च न्यायालय में कतिपय अन्य वाद दायर है। जिलों से भी इस संबंध में बार-बार मार्गदर्शन हेतु पत्र प्राप्त होते रहते है।

अतः प्रस्ताव है कि बेल्ट्रॉन से सूचीकरण व्यवस्था की सूचना (बेल्ट्रॉन का पत्रांक-MP/03/21, दिनांक-08.01.2021) प्राप्त होने के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो गये जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायक के पैनल जिनकी वैद्यता की अवधि (पैनल निर्माण की तिथि से 3 वर्ष) निष्प्रभावी होने की तिथि को पूर्ण नहीं हुयी थी, में प्रतीक्षारत रह गये अभ्यर्थियों का नियोजन जिला अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध किये जाने हेतु एक बार (One Time) प्रावधान किये जाने की पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है, तथा उक्त हद तक पूर्व निर्णय यथा बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में अपने खर्च पर सम्मिलित होने हेतु अवसर दिये जाने तथा उत्तीर्ण होने पर बैल्ट्रॉन के पैनल में शामिल किये जाने का संशोधन प्रार्थित है यह प्रावधान मात्र एक बार के लिये होगा तथा इसके उपरांत इन पैनलों से कोई भी नियोजन नहीं किया जायेगा। संबंधित जिला पदाधिकारी अपने जिले अंतर्गत सभी रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर तदालोक में एक बार इन पैनलों से नियुक्ति करेगें।

निर्णयः-	**प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग-सह-मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग तथा अपर मिशन निदेशक की समिति बैठक कर प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार कर मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष शासी परिषद को प्रतिवेदन समर्पित करेगी।**

ह./-
(संजय कुमार पंसारी)
अपर सचिव
अपर मुख्य सचिव, योजना एवं
विकास विभाग के प्रतिनिधि

ह./-
(रूद्र प्रकाश मिश्र)
सचिव
विधि विभाग

ह./-
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग

ह./-
(डॉ.प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सो.

ह./-
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव, सूचना प्राधिकी
विभाग-सह-प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन

ह./-
(डॉ. बी. राजेन्दर)
मिशन निदेशक-सह-
प्रधान सचिव, साप्र. विभाग .

ह./-
(के.के. पाठक)
महानिदेशक, बिपार्ड

ह./-
(विवेक कुमार सिंह)
विकास आयुक्त, बिहार

ह./-
(आमीर सुबहानी)
मुख्य सचिव, बिहार

(1)

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांक:- बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध-10/2019 सो0- 2528....., दिनांक-..19/10/2022
प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/सचिव, विधि विभाग, बिहार को कार्यवाही की प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

19/10/22
अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांक:- बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध-10/2019 सो0- ...2528..... दिनांक-...19/10/2022
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद एवं विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

19/10/22
अपर मिशन निदेशक